न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 16/2025

भारती मीना निवासी घांसडी पोस्ट तहसील व जिला टोंक।
——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांकः— 01.04.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. कार्यालय भू—प्रबंध अधिकारी टोंक के पत्रांक 1746 दिनांक 03/01/25 किस नियम के तहत जारी किया गया ! कृपया नियम की प्रति उपलब्ध करवाये
2. कार्यालय भू— प्रबंध अधिकारी टोंक के आदेश क्रमांक/फा/समू/भूप्रअ/टोंक/सी.ज्ञा./56/24/1857 दिनांक 03/01/25 किस नियम से जारी किया गया। कृपया नियम की प्रति उपलब्ध करवाये
3. कार्यालय तहसीलदार (भू.अ) अधिकारी टोंक के आदेश क्रमांक/भूअ/2025/63 दिनांक 03/01/25 किस नियम के तहत जारी किया गया। कृपया नियम की प्रति उपलब्ध करवाये
4. उक्त तीनों आदेश एक ही दिनांक को जारी किए गए कृपया डी.जी.पी.एस मशीन से सीमा ज्ञान करवाने हेतु प्रार्थी जन्मेजा राणा द्वारा किस दिनांक को भुगतान किया गया! कृपया भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें
5. कार्यालय भू—प्रबंध अधिकारी टॉक के पत्रांक 1746 व आदेश क्रमांक 1857 दिनांक 03/01/25 किस अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया अधिकारी कर्मचारी का नाम व पद उपलब्ध करवाये
6. कार्यालय भू— प्रबंध अधिकारी टोंक के आदेश क्रमांक/फा/समू/भूप्रअ/टोक/सी.ज्ञा. /56/24/1857 दिनांक 03/01/25 मे कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट भू.अ. टोंक के पत्रांक 4633 दिनांक 21.10.2024 कि अभिशंषा के आधार पर जारी होना बताया गया है किंतु जिला कलेक्टर भू.अ. के उक्त पत्र में खसरा नंबर 105/3 भूमि पर खाल एवं सरकारी एनिकट बना होने का उल्लेख है, इस प्रकार की किसी भी अभिशंषा का उल्लेख नहीं है उक्त पत्र केवल मात्र नियम अनुसार कार्रवाई हेतु लिखा गया है कृपया अभिशंषा से संबंधित पत्र की प्रति उपलब्ध करवाये
7. खसरा नंबर 105/3 न्यायालय उपखंड अधिकारी टोंक प्रकरण प्रा. पत्र संख्या 36/2024 प्रतिवादी तहसीलदार नाम जनमेज राणा द्वारा अंर्तगत धारा 128 में पथरगढ़ी करवाने हेतु वाद दायर किया था

न्यायालय जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर
टोंक

633

किंतु उक्त भूमि को अवैध तथा सीमाज्ञान एवं पथरगढ़ी योग्य नहीं माना गया तथा वाद सीमाज्ञान व पथरगढ़ी खारिज की गई जिसकी प्रति समस्त जिला प्रशासन के पास उपलब्ध है उसे समय के अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं वर्तमान भू प्रबंधन अधिकारी श्रीमान सुरेश चौधरी को ग्रामीण वासियों के सामने पढ़कर सुनाई जा चुका है किंतु इसके उपरांत भी संबंधित सीमा ज्ञान करवाया जा रहा है कृपया नियम की प्रति उपलब्ध करवाये

8. सीमा ज्ञान (न्यायालय उपखंड अधिकारी टोंक प्रकरण प्रा. पत्र संख्या 36/2024) निर्णय सीमा ज्ञान पथरगढ़ी अस्वीकार/खारिज, इस प्रकार के न्यायालय से संबंधित प्रकरणों में प्रार्थना पत्र का आवेदन कहां किया जाता है कृपया नियम की प्रति उपलब्ध करवाई

9. उक्त भूमि खसरा नंबर 105/3 पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न दर्जन भर से अधिक जांच/मौका रिपोर्ट जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित उपखंड अधिकारी की उपस्थिति में 24.7.2024 जांच/मौका रिपोर्ट, लोकायुक्त जांच रिपोर्ट सहायक कलेक्टर 07/02/2024 जांच/मौका रिपोर्ट, लोकायुक्त जांच रिपोर्ट द्वारा उपखंड अधिकारी 30.1.2024 जांच/मौका रिपोर्ट, तहसील कार्यालय गिरधर पटवार की रिपोर्ट 6.5.2023, जिला कलेक्टर सतर्कता उपखंड अधिकारी की जांच रिपोर्ट 18. 03. 2023 उक्त सभी जांच एवं मौका रिपोर्ट में उक्त भूमि पर दो सरकारी खाल एवं एक सरकारी एनिकट बना होना बताया गया है तथा प्रार्थी जन्मेजा राणा का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने संबंधी उसकी माता के बयान लिए हुए है कृपया नियम की प्रति उपलब्ध करवाई जिसमें सरकारी एनिकट एवं खाल की भूमिका किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है या किसी कानून से उनका व्यक्ति विशेष के लिए सीमा ज्ञान करवाया जाता हो

10. किसी व्यक्ति को अगर नाले या खाल की भूमि आवंटित कर दी जाती है तो क्या आवंटन खारिज किया जा सकता है या नहीं। नियम की प्रति उपलब्ध करवाये

11. राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप 6 के विभिन्न परिपत्रों के जो निम्न प्रकार है

1. क्रमांक 10/(3) राज6/2001/पार्ट/5 दिनांक 26/06/2012
2. क्रमांक 10/(3) राज6/2001/पार्ट/142 दिनांक 06/09/2022
3. क्रमांक 10/(3) राज6/01/पार्ट/17 दिनांक 23/09/2011 के अनुसार भी नाला/खाल व एनिकट अधवा पानी के बहाव क्षेत्र की भूमियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की है इसके विपरीत जाकर किस नियम के तहत उक्त आदेश जारी किए गए नियम की प्रति उपलब्ध करवाये

12. राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप 6 के परिपत्र क्रमांक 10/(3) राज6/2001/पार्ट/142 दिनांक 06/09/2022 धारा 16 के अंतर्गत निहित भूमिया जिसमें खाल एवं एनिकट की भूमि अथवा पानी के बहाव क्षेत्र की भूमि शामिल है का नियमन /आवंटन करने या करवाने ऐसे अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार मानते हैं उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियम 1958 के तहत नियम 16 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रावधान है कृपया उस अधिकारी का नाम तथा पद एवं पद स्थापना कार्यालय का नाम इसमें उक्त आदेश जारी किए हैं की प्रति उपलब्ध करवाये

13. राज्य सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री आदेशों के विपरीत बिना पारदर्शिता भरते हुए कार्यालय जिला भू प्रबंध द्वारा जारी उक्त आदेश बिना ई–फाइलिंग के जारी किए

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर

गए कृपया किसी विशेष प्रस्थिति के कारण नियमों की पालना नहीं की गई नियम की प्रति उपलब्ध करवाये

14. सीमा ज्ञान वर्ष के कौन से माह में किया जाता है अथवा किस अवधि में किया जाता है नियम की प्रति उपलब्ध करवाये

15. रबी की फसल के दौरान जनवरी फरवरी माह में जबकि चारों ओर काफी मात्रा में फसल बो रखी हो कहीं भी स्थान खाली नहीं हो ऐसी स्थिति में सीमा ज्ञान कराया जा सकता है नियम की प्रति उपलब्ध करवाये

16. आवेदक का कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने की स्थिति में भी सीमा ज्ञान करवाया जा सकता है क्या नियम की प्रति उपलब्ध करवाये

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 295 दिनांक 27.02.2025, 333 दिनांक 04.03.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 323 दिनांक 20.03.2025 से जवाब प्रेषित किया है सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील के अपीलार्थी श्री भारती मीना निवासी घांसडी पोस्ट तहसील व जिला टोंक से प्राप्त प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित करने पर भू–प्रबन्ध अधिकारी, टोंक ने पत्रांक 04 दिनांक 13.01. 2025 से, प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख), कलेक्ट्रेट, टोंक ने पत्रांक 1389 दिनांक 18. 07.2025, उपखण्ड अधिकारी–टोक ने पत्रांक 410 दिनांक 10.03.2025 एवं तहसीलदार (भू.अ.) टोंक ने पत्रांक 1979 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी को क्रमशः पत्र कमांक 18–19 दिनांक 05.02.2025, 1389 दिनांक 18.02. 2025, 410 दिनांक 10.03.2025 व 1979 दिनांक 12.03.2025 से सूचना के संबंध में सूचित किया गया है। अपीलार्थी को भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक द्वारा सूचना नही देने की स्थिति में अपीलार्थी उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक
टोंक